न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कोटकासिम (अलवर)

क	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल पी. ओ.
	[illegible] / [illegible]
18/12/15	[illegible] 21-12-15 को [illegible] [signature]
21/12/15	[illegible] पक्षकार/वादी/उपस्थित पीठासीन अधिकारी बाहर पधारे हैं आयन्दा पत्रावली दि० 13-1-16 को पेश होवे। [initials]
13/1/16	[illegible] [signature]

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कोटकासिम जिला अलवर

पीठासीन अधिकारी :– बलवन्तसिंह लिग्री आर.ए.एस

राजस्व प्रार्थनापत्र सं0	दायरा दिनांक	निर्णय दिनांक
261 / 2015	18.11.2015	13.1.16

उनवान

1. बनेसिंह पुत्र श्री श्योसिंह जाति अहीर उम्र 65 साल निवासी रामपुर तह0 कोटकासिम जिला अलवर राज0 ।

:– प्रार्थी

बनाम

1. लीलाराम
2. बुधराम पुत्रान प्रभाती जाति अहीर निवासी रामपुर तह0 कोटकासिम जिला अलवर राज0
3. धोली उर्फ धेल्लीराम पुत्र श्योंसिंह
4. लाली पत्नि मोहरचन्द उर्फ मेहरचन्द
5. हैमकरण पुत्र मोहरचन्द उर्फ मेहरचन्द
6. महैन्द्र पुत्र मोहरचन्द उर्फ मेहरचन्द
7. जैलाराम पुत्र मोहरचन्द उर्फ मेहरचन्द
8. भौगडी पत्नि प्रभाती जाति अहीर निवासी रामपुर तह0 कोटकासिम जिला अलवर राज.
9. भारतीय स्टेट बैंक कोटकासिम जरिये शाखा प्रबंधक तह0 कोटकासिम अलवर
10. उप–पंजियक कोटकासिम तह0 कोटकासिम जिला अलवर राज0
11. राजस्थान सरकार के जरिये भूमिधारी अधिकारी लैण्ड होल्डर तहसीलदार कोटकासिम तह0 कोटकासिम अलवर राज0।

:– अप्रार्थीगण

दावा इश्तकरारहक
प्रार्थनापत्र अंतर्गतधारा 212 राजस्थान
काश्तकारी अधिनियम 1955 आदेश 39 नियम
1, व 2 व सपठित धारा 151 जाप्ता दीवानी

उपस्थित :–

1. श्री मनोजकुमार यादव अधिवक्ता प्रार्थी
2. श्री विकास यादव अधिवक्ता अप्रार्थी

निर्णय

उपखण्ड अधिकारी
कोटकासिम (अलवर)

प्रार्थी/वादी द्वारा एक प्रार्थनापत्र अंतर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 आदेश 39 नियम 1, व 2 व सपठित धारा 151 जाप्ता दीवानी इस न्यायालय में पेश किया गया कि प्रस्तुत वादपत्र, शपथपत्र एवं दस्तावेजों से प्रार्थी का केस प्राईमाफेसाई आयद वो साबित होता है। जिसमे मिन प्रार्थी को कामयाबी की पूरी– पूरी उम्मीद है। विवादित आराजीयात मिन प्रार्थी व अप्रार्थीगन सं0 1 लगायत 8 का सामलाती खातेदारी कब्जा काश्त की आराजीयात है जिस पर सामलात मे ही काबिज व दखिल होकर काश्त करते चले आ रहै है राजस्व रिकोर्ड मे अमल दरामद हो रहा है । विवादित आराजी मुताबिक खाता सं0 241 में मिन वादीका 1/4 भाग, मुताबिक खाता सं0 103 में 1/4 भाग है। विवादित आराजी में से 1/4 भाग है जिन हिस्सों पर अपने जमाबन्दी मुताबिक प्रतिवादीगन सं. 1 लगायात 8 के साथ– साथ सामलात में ही काबिज व दखिल होकर काश्त करता चला आ रहा है। अप्रार्थीगन आये रोज मिनप्रार्थी के सामलाती हिस्सो के कब्जा काश्त मे मजामत व मदालखत पैदा करते रहते हैं। दिनांक 17/11/2015 को मिन प्रार्थी ने खुद अप्रार्थीगन से विवादित आराजीयात का तकासमा कर अलग खाता कायम करवाने हेतु निवेदन किया तो वो साफ इन्कार हो गये और बिना बंटाये ही दीगर लोगों को बेचान करने की धमकियां दी कि हम विवादित आराजीयात को बिना बंटाये ही बेचान करेगें और तुझे तेरे हिस्से से जबरन बेदखल कर अपना कब्जा करेगें, तुझे काश्त नही करने देगे। यदि प्रतिवादीगन अपने इस नापाक इरादो में कामयाब हो गये तो मिन वादी को अपनी खातेदारी अधिकरो की आराजीयात से वंचित होना पडेगा। दीगर मुकदमाबाजी में फंसॅना पडेगा। अपूरनीय क्षति होगी। जिसकी पूर्ति किसी भी सूरत में रूपयों में नहीं ऑकी जा सकेगी। इसलिये मिन वादीगन प्रतिवादीगन को जरिये हुक्मईम्तनाई दवामी से पान्बद करवाने का अधिकारी हैं। सुविधा का सतुंलन व नापूर्ति होने वाली क्षति बहक मिन प्रार्थी है। अतः प्रार्थनापत्र है कि अप्रार्थीगन को जरिये हुक्मइम्नाई चन्दरोज से पान्बद फरमाया जावे कि वो विवादित आराजीयात हाल खसरा नं0 31/1.02, 32/0.07, 24/0.18, 37/2.12, 40/2.00, 165/2.02, 166/0.02, 182/0.12, 184/1.00, 218/2.16, 466/1.16, बीघा मुताबिक खाता सं0 241 आराजीयात हाल खसरा नं0 177/3.00, 181/2.02 बीघा मुताबिक खाता सं0 103 वाके ग्राम रामपुर तह0 कोटकासिम जिला अलवर राज.0 का जब तक रिकार्डेड तकासमा ना हो जाये तब तक अप्रार्थीगन विवादित आराजीयात को कही दीगर जगह रहन बैय हिबा लीज इत्यादि द्वारा मुन्तकिल ना करे, ना ही वादी के सामलाती हिस्सों कब्जा काश्त मे मजाहमत व मदालखत पैदा ना करें, ना कब्जा करें, ना निर्माण कार्य करें, ना ही किसी प्रकार का ऋण लेवें, ना ही जब्रन बेदखल करें, मौका व राजस्व रिकार्ड की यथास्थिति कायम रखें, ना ही प्रतिवादी सं0 10 विवादित आराजीयात की बाबत किसी प्रकार के दस्तावेज पंजिबंद्व व तस्दीक करे।

उप खण्ड अधिकारी
कोटकासिम (अलवर)

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जर्ये नोटिस सुनवाई का अवसर प्रदान किया गया।

अप्रार्थीगण/प्रतिवादीगण की ओर से जवाब पेश किया कि वादी ने मिथ्या तथ्यों के आधार पर अदालत श्रीमान मे वाद पेश किया है जो चलने योग्य नही है मय हर्जा खर्चा काबिले खारिज है। वादी को वाद मे कामयाबी की कोई आशा ही नहीं करनी चाहिऐ। वादी ने मिथ्या वादपत्र ,मिथ्या शपथपत्र एंव फर्जी वो नुमायशी दस्तावेजात पेश किए है। जिससे वादीका केस किसी भी प्रकार से प्राइमाफेसाई आयद वो साबित नही होता है। यह सही है कि वादी एंव प्रतिवादीगन 1 लगायात 8 की सामलाती खातेदारी की आराजी है तथा राजस्व रिकार्ड में भी नाम का अमल दरामद हो रहा है, बाकी तथ्य गलत है । हम पक्षकारान का बहामी तौर पर बंटवारा हो रहा है। मुताबिक बहामी बटवारा के हम पक्षकरान अपने –अपने हिस्से में आई आराजी पर शांति पूर्वक काबिज व दखिल हो कर काश्त कर रहे हैं। मुताबिक राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी में हम पक्षकारान का हिस्सा दर्ज है तथा हम पक्षकारान बाहमी बंटवारा के अनुसार अपने –अपने हिस्से में आई आराजी के रकबा पर शांति पूर्वक काबिज व दखिल होकर काश्त कर रहे हैं। यहां इस तथ्य का उल्लेख किया जाना भी आवश्यक संबधित दावा न्यायालय श्रीमान मे वादी ने विवादित आराजी संबधित दावा तकासमा आराजी बमय हुक्म ईम्तनाई दावामी का बनेसिंह वादी बनाम धोंली उर्फ धेंल्लीराम पुत्र श्योसिह अहीर निवासी रामपुर तहसील कोटकासिम जिला अलवर राज0 वगैरा के नाम से पेश कर रखा है जो इस समय न्यायालय हाजा में विचाराधीन है । दोनों दावे एक साथ चलने योंग्य नही है, क्योकि दोनों दावों में समान आराजी समान प्रतिवादी व समान वादी है एंव यदि अलग – अलग दावा रहते हैं तो मल्टीपलेशी आफ सूट पैदा होगे एंव अदालत द्वारा भिन्न – भिन्न निर्णय होगे । इसलिए ऐंसी सूरत मे वाद वादी चलने योग्य नही है। वादी गैर काबिज गैर वास्ता आराजी है। दिनांक 17/11/15 की कहानी वादी ने मिथ्या बनावटी मनघडन्त दरज की है। सुविधा का सन्तुलन बहक प्रतिवादीगन है। प्रार्थनापत्र वादी ना काबिले पाबन्दी, काबिले खारिज है। जो मय हर्जा खर्चा काबिले खारिज है । वो नापूर्तिनीय क्षति बहक प्रति0 है। अतः जबाब प्रार्थनापत्र पेश कर अर्ज है कि प्रार्थनापत्र वादी मय हर्जा खर्चा खारिज फरमाया जावे।

उभय पक्षकारान के विद्वान अधिवक्तागण की बहस सुनी गई।

वादी के विद्वान अधिवक्ता ने अपनी बहस में कथन किया कि प्रार्थी का विभाजन का दावा है। विवादित आराजी में प्रार्थी का 1/4 हिस्सा है। हाल ता विवादित आराजी का बंटवारा नहीं हुआ है। विवादित आराजी पर बोरिंग, मकानात बने हैं। अप्रार्थीगण ने बेचान की धमकी दी है। बंटवारा

उप खण्ड अधिकारी
कोटकासिम (अलवर)

करने से इन्कार किया है। निवेदन किया कि अप्रार्थीगण को जब ता बंटवारा ना हो जावे तक अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे।

अप्रार्थीगण के विद्वान अधिवक्ता ने अपनी बहस में कहा कि अप्रार्थीगण रिकार्डेड खातेदार है। मुझे पाबन्द नहीं करा सकते। मेरे हिस्से का बेचान, उपयोग व उपभोग से रोक नहीं सकते । सभी सहखातेदार काबिज आराजी है। प्रार्थी का प्रार्थनापत्र मय खर्चा खारिज फरमाया जावे। न्यायिक दृष्टान्त आरआरडी 2008 पेज 762 पेश किया।

मेरे द्वारा उभय पक्षकारान के विद्वान अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया गया व पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों अवलोकन किया गया। राजस्व रिकार्ड में उभय पक्षकारान विवादित आराजी के रिकार्डेड सहखातेदार हैं। रिकार्डेड सहखातेदार के विरुद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा जारी नहीं की जा सकती। अप्रार्थी के विद्वान अधिवक्ता की ओर से प्रस्तुत नजीर आरआरडी 14.011.2008 पेज 762 इस प्रकरण में पूर्णतया चस्पा है। जिसमे यह उद्धरित किया है कि संयुक्त खातेदारी की भूमि में समस्त अंशधारी पूर्ण भूमि पर काबिज होते हैं। वर्तमान में विवादित आराजी सहखातेदारी की आराजी की है। दावा तकासमा का है। इसलिये प्रार्थी का प्रथम दृष्टया केस साबित नहीं है। विवादित भूमि पर प्रार्थी को किसी रुप में अपूरणीय क्षति होना प्रतीत नहीं है। इसलिये सुविधा का सन्तुलन भी प्रार्थी को नहीं हो रहा है। प्रा0पत्र खारिज योग्य है।

आदेश

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 आदेश 39 नियम 1, व 2 व सपठित धारा 151 जाप्ता दीवानी बाबत विवादित आराजी हाल ख0नं0 31/1.02, 32/0.07, 24/0.18, 37/2.12, 40/2.00, 165/2.02, 166/0.02, 182/0.12, 184/1.00, 218/2.16, 466/1.16, 177/3.00, 181/2.02 बीघा वाके ग्राम रामपुर तहसील कोटकासिम जिला अलवर राज0 खारिज किया जाता है। पत्रावली निर्णय शुमार की जाकर बाद तकमील दाखिल दफतर की जावे।

निर्णय आज दिनांक 13.1.16 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(बलवन्त सिंह लिम्बी)
उप खण्ड अधिकारी
कोटकासिम (अलवर) राज0